न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन

पीठासीन अधिकारी :— ***श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.***

राजस्व अपील :— 18/2014 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अपीलाण्टगण — 1.लिछमणाराम पुत्र किशनाराम
2.मेहराराम पुत्र सताराम उर्फ हिमथिया के का.मु. :—
2/1.हनुमान पुत्र मेहराराम 2/2.मांगीदेवी पत्नि मेहराराम
3.रूपाराम 4.उम्मेदाराम 5.पदमाराम 6.शेराराम पि.सताराम उर्फ हिमथिया, जाति जाट, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन

बनाम

उतरदातागण — 1.सरपंच ग्राम पंचायत ईशरोल
2.उदाराम 3.रूगाराम 4.हनुमानराम पि.मोडाराम
5.हनुमानराम पुत्र धन्नाराम 6.आदूराम पुत्र गोरधनराम
जाति जाट, निवासी ईशरोल, तहसील चौहट, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण — अपीलाण्टगण वकील — श्री मुकेश जैन, श्री भवानी शंकर
उतरदातागण वकील — श्री हुकमसिंह चौधरी, श्री कपिल चौधरी

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

मुकदमा नं. 18/2014

निर्णय

दिनांक :— 25.08.2022

अपीलाण्टगण द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्टगण एवं उतरदातागण सं. 2 से 4 व 6 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा ग्राम गोदारों की ढाणी (ईशरोल) तहसील चौहटन में खसरा सं. 427 रकबा 230.18 बीघा, खसरा सं. 425 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 426 रकबा 00.04 बीघा एवं मौजा बाघाणियों की ढाणी (ईशरोल) में खसरा सं. 520 रकबा 53.14 बीघा की आई हुई है। जो वक्त सेटलमेन्ट के समय ग्राम ईशरोल में स्थित थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:35:16 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट के समय अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 6 के पूर्वजों बन्ना, लिछमणा, सता, धना, गोरधन पि.किशना उर्फ केहरा का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा पर उतरदाता सं. 2 से 4 के पिता मोडा पुत्र हिन्दू का कब्जा काश्त था तथा इसी अनुसार पर्चा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

लगान जारी किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त अनुसार हिस्से भी खोल कर राजस्व रेकर्ड का अंकन किया गया।

खातेदार धन्ना उर्फ धनिया पुत्र केहना उर्फ केहरा के लाऔलाद फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के कोई वारिश न होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की द्वितीय सूची के अनुसार धन्ना के विधिक वारिशान अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 06 व बन्ना थे तथा इनके नाम से नामान्तरकरण पारित करना था परन्तु उतरदाता सं. 04 ने फर्जी रूप से धन्ना का पुत्र बनकर हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत ईशरोल से मिलीभगत कर अपने नाम से नामान्तरकरण सं. 226 पारित करवा दिया तथा राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से हनुमान पुत्र धन्ना का अंकन करवा दिया जबकि हनुमान धन्ना का पुत्र न होकर मोडा का पुत्र व उतरदाता सं. 2 व 3 का सगा भाई है । धन्ना लाऔलाद फौत हुआ था परन्तु उक्त नामान्तरकरण में गलत रूप से अंकन कर दिया कि धन्नीया फौत हुए करीब 02 माह हो चुके है उसके जोईया पुत्र के नाम नामान्तरकरण भरा गया, जबकि धन्ना के कोई जायन्दा पुत्र ही नहीं था। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण मिलीभगत कर साजिश के तौर से पारित किया गया। उतदाता सं. 01 ने नामान्तरकरण सं. 226 धन्ना उर्फ धन्नीया के फौत होने पर उतरदाता सं. 05 के नाम से पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जो निरस्त करने के काबिल है।

धन्ना उर्फ धन्नीया के फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम सूची के कोई वारिश न होने के कारण द्वितीय सूची के वारिश बन्ना, लिछमणा, सता उर्फ हिमथिया व आदू पुत्र गोरखा थे तथा बाद में बन्ना भी लाऔलाद फौत हो गया, इस कारण वर्तमान में धन्ना के विधिक वारिशान अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 06 है।

अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 06 के पूर्वजों की अन्य जमीन मौजा उण्डखा, तहसील बाड़मेर में स्थित थी जिसमें धन्ना के फौत होने पर उनके स्थान पर उनके भाईयों व भतीज के पक्ष में धन्ना का नाम हटाया गया तथा सम्पूर्ण भूमि अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 06 के नाम से दर्ज है। परन्तु उतरदाता सं. 06 ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में स्वयं को धन्ना का वारिश बताते हुए नामान्तरकरण सं. 226 स्वीकृत करवा दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य है।

उतरदाता सं. 2 से 4 को पिता मोडा के ... पर उतरदाता सं. 04 को उतरदाता सं. 2 व 3 के साथ मोडा के उतराधिकारी मानते हुए नामान्तरकरण पारित गया है इस प्रकार उतरदाता सं. 4 ने उतरदाता सं. 4 व 5 दोनों बनकर अपीलाण्टगण की भूमि को हड़पने का

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रयास किया है । हनुमान वास्तविक रूप से मोडा का पुत्र है तथा इसी नाम से गांव में जाना जाता है। हनुमान की वल्दियत भी मोडा के रूप में जानी पहचानी जाती है। हनुमान पुत्र धन्ना एवं हनुमान पुत्र मोडा दोनों नाम एक ही व्यक्ति हनुमान पुत्र मोडा है। हनुमान कभी भी धन्ना की वल्दियत से जाना पहचाना नहीं गया है। ऐसी स्थिति में धन्ना की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण सं. 226 छल एवं कुटरचित तरीके से निष्पादित होने काबिले खारीज एवं अपीलाण्टगण के लिए प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है

अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर प्रथम दृष्टया उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 226 दिनांक 05.06.1974 शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 226 दिनांक 15.06.1974 को निरस्त किया जावे तथा मृतक धन्ना पुत्र केहना उर्फ केहरा के विधिक वारिशान अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 06 के नाम से राजस्व ग्राम गोदारों की ढाणी (ईशरोल) तहसील चौहटन में खसरा सं. 427 रकबा 230.18 बीघा, खसरा सं. 425 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 426 रकबा 00.04 बीघा एवं मौजा बाघाणियों की ढाणी (ईशरोल) में खसरा सं. 520 रकबा 53.14 बीघा में धन्ना उर्फ धन्नीया पुत्र केहना उर्फ केहरा के स्थान पर अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 06 के नाम से नये सिरे से पारित करने के आदेश फरमावे।

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया । उतरदाता सं. 2 से 4, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी ने वकालतनामा किया। अपीलाण्टगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी वास्ते अपीलाण्ट सं. 02 व 07 की फौतगी पर उसके का.मु. एवं संशोधित शीर्षक पेश किये। जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उतरदाता सं. 2 से 4,6 के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र उतरदाता सं. 05 हनुमान पुत्र धना का नाम रिकॉर्ड से हटाने बाबत् पेश किया। अपीलाण्टगण वकील ने उतरदाता सं. 2 से 4, 6 के अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र वास्ते उतरदाता सं. 05 हनुमान पुत्र धना का नाम रिकॉर्ड से हटाने का स्वीकार कर निवेदन किया कि हमारी अपील की इस्तदुआ अनुसार नामान्तरकरण सं. 226 में उतरदाता सं. 05 हनुमान पुत्र धना का नाम हटाते हुए नामान्तरकरण सं. 226 निरस्त किया जाकर पुनः नये सिरे से पारित करने के आदेश प्रदान करावे। अतः अपील पर हमारी बहस सुनी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:35:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम गोदारों की ढाणी (ईशरोल) तहसील चौहटन में खसरा सं. 427 रकबा 230.18 बीघा, खसरा सं. 425 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 426 रकबा 00.04 बीघा एवं मौजा बाघाणियों की ढाणी (ईशरोल) में खसरा सं. 520 रकबा 53.14 बीघा की आई हुई है। जो भूमि वक्त सेटलमेन्ट के समय ग्राम ईशरोल में स्थित थी। जिसमें खातेदार धन्ना उर्फ धनिया पुत्र केहना उर्फ केहरा के लाऔलाद फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के कोई वारिश न होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की द्वितीय सूची के अनुसार धन्ना के विधिक वारिशान अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 06 व बन्ना थे तथा इनके नाम से नामान्तरकरण पारित करना था परन्तु उतरदाता सं. 04 ने फर्जी रूप से धन्ना का पुत्र बनकर हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत ईशरोल से मिलीभगत कर अपने नाम से नामान्तरकरण सं. 226 दिनांक 15.06.1974 पारित करवा दिया तथा राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से हनुगान पुत्र धन्ना का अंकन करवा दिया जबकि हनुमान धन्ना का पुत्र न होकर मोडा का पुत्र है। धन्ना लाऔलाद फौत हुआ था । उतदाता सं. 01 ने नामान्तरकरण सं. 226 धन्ना उर्फ धन्नीया के फौत होने पर उतरदाता सं. 05 के नाम से पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

अतः अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 226 दिनांक 15.06.1974 खारीज किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में तथ्यात्मक जांच कर वैध वारिशानों के पक्ष में नये सिरे से नामान्तकरण पारित करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:35:16 IST
Reason: SelfAttested